

अनुसूची 31-प्रपत्र 1/अ 112।

सम्पत्ति 1417 दिनांक 31/05/2022

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. 1417, 2022
 बैंक की Margosa Carera Bank अंक सं. 1417, 2022
 संकेत के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्पत्तियों का अवभार प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तालिका के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सम्पत्तियों और अवभारों के बारे में बही में और उपरोक्त सम्बन्ध अनुक्रमणिका में ता. 2013 में 2013 तक तालिका की गई और देती सम्पत्तियों के बारे में सम्पत्तियों और अवभारों का पता पता है।

क्रम सं.	क) विधि का विवरण	विस्तार की तारीख	ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पत्तों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति निर्देश			
				निष्पत्तक	रावेदार	खिला सं.	खं.	पृ.	
	Mouza No. - 51		8 Chatta - 40 & 70			1387, 1388 & 1389			
	Total Area: - 14.06 Chatta.						NIL		

क) दस्तावेज को अनुसार विवरण दर्ज करें। Ashok Prasad
 ख) 1) संयोज-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बताने, कि इसके बारे में उल्लेख हो।
 2) पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(३)

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति की प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - *E*

(पदनाम) - *Chief*

तलाशी का साक्षात्पत्र और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(पदनाम) - *Chief*

कार्यालय *D.S.T. Sub-Registry Office* गुरदासपुर



तारीख *31/5/22*

[Signature]
निम्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इतने प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किसी किसी संपत्तियों की निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ये भी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निम्न अधिनियम की धारा १७ के अधीन जो व्यक्ति बहिरी और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियों देखाया पावरो हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि होगा या उसे हो अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जाँच करने हो उन्हें तलाशी स्वतंत्र करना होगा। विहित कृत्य पूर्ण करने पर बहिरी और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेंगी।

क) किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उपस्थित तलाशी अपने परामर्श सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की विरती प्राप्त के लिए गिरती भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

~~ख) और यदि वर्तमान मामले में आवेदक ने उपस्थित तलाशी स्वयं की है और यदि कार्यालय द्वारा पड़े गये संव्यवहारों और अवभारों के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की घूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।~~

Search made by me *[Signature]*
Advocate
Ct. Court, Gurdaspur